Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 11/May/2026 IJRAW: 2026; 5(7):89-93 Accepted: 14/June/2026

डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण

*[1]सरोज सिंह और [2]डॉ. अमृता कुमारी

*[1]शोधार्थी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (VKSU), आरा, बिहार, भारत।

[2]अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, एम.वी. कॉलेज, बक्सर, बिहार, भारत।

सारांश

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-शासन तथा डिजिटल संचार माध्यमों के विकास ने नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अवसर प्रदान किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण एक ऐसी अवधारणा के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी रूप से सहभागी बनाना है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की अवधारणा, उसके सामाजिक-आर्थिक आयाम, संभावनाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। भारत में डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन जनसेवा पोर्टल, जन शिकायत निवारण तंत्र तथा सूचना के अधिकार से संबंधित डिजिटल व्यवस्थाओं ने शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया है। इन पहलों ने विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण समुदायों एवं समाज के वंचित वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप नागरिकों की सूचना तक पहुँच, सरकारी सेवाओं की उपलब्धता तथा जनसहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यद्यपि डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रहा है, तथापि डिजिटल विभाजन, डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग तथा भ्रामक सूचनाओं का प्रसार इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अतः समावेशी डिजिटल अवसंरचना का विकास, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना, डेटा संरक्षण के प्रभावी प्रावधान सुनिश्चित करना तथा नागरिकों में डिजिटल साक्षरता एवं नैतिक डिजिटल नागरिकता का विकास समय की प्रमुख आवश्यकता है।

निष्कर्षतः, डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण केवल तकनीकी नवाचार का परिणाम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी एवं समावेशी बनाने की सतत प्रक्रिया है। यदि डिजिटल संसाधनों तक समान पहुँच, प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो डिजिटल प्रौद्योगिकी भारत में सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सतत एवं समावेशी विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मुख्य शब्द: डिजिटल लोकतंत्र, डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, ई-शासन, डिजिटल इंडिया, सुशासन, नागरिक सहभागिता, डिजिटल साक्षरता, पारदर्शिता।

1. प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी को डिजिटल क्रांति का युग माना जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology–ICT) ने शासन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी इस परिवर्तन से अछूती नहीं रही है। डिजिटल तकनीकों के विकास ने नागरिकों और शासन के मध्य संवाद को अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा सहभागी बनाया है। आज नागरिक केवल मतदाता नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों के द्वारा नीति-निर्माण, जन-विमर्श, शिकायत निवारण तथा शासन की निगरानी में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बढ़ती इंटरनेट पहुँच, स्मार्टफोन का व्यापक उपयोग, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन जनसेवाएँ तथा ई-गवर्नेंस की विभिन्न पहलों ने लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की है। डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन को नागरिकों के

*Corresponding Author: सरोज सिंह

निकट पहुँचाने तथा सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल माध्यमों के कारण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, सेवाओं की त्वरित उपलब्धता तथा जनसहभागिता में वृद्धि हुई है।
हालाँकि, डिजिटल लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। डिजिटल विभाजन (Digital Divide), साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग, भ्रामक सूचनाओं (Fake News) का प्रसार तथा डिजिटल साक्षरता का अभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि इन चुनौतियों का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो डिजिटल माध्यम लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के स्थान पर असमानता और अविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं।
इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध-पत्र डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की अवधारणा, उसकी उपयोगिता, भारत में उसकी वर्तमान स्थिति, प्रमुख चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है।

2. डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण: अवधारणा

'डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण' का अर्थ है—डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक प्रभावी, सक्रिय तथा समान भागीदारी का अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना तक सरल पहुँच उपलब्ध कराना, शासन में पारदर्शिता स्थापित करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी बनाना है।
डिजिटल लोकतंत्र केवल इंटरनेट या ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों, सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के मध्य एक सतत संवाद की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत ई-गवर्नेंस, ई-भागीदारी (e-Participation), ओपन गवर्नमेंट डेटा, डिजिटल जन-सुनवाई, ऑनलाइन जन-परामर्श तथा सोशल मीडिया आधारित लोकतांत्रिक विमर्श जैसी व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं।
डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं—

i). सूचना तक समान एवं त्वरित पहुँच।
ii). पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन।
iii). नागरिकों की सक्रिय सहभागिता।
iv). डिजिटल समावेशन एवं समान अवसर।
v). तकनीक आधारित सुशासन।
vi). सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल वातावरण।

इन आधारों के माध्यम से लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित न रहकर निरंतर जनसहभागिता एवं उत्तरदायित्व की प्रक्रिया बन जाता है।

3. डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का सैद्धांतिक आधार

डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का वैचारिक आधार सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy), विचार-विमर्श आधारित लोकतंत्र (Deliberative Democracy) तथा सुशासन (Good Governance) की अवधारणाओं में निहित है।
(क) सहभागी लोकतंत्र: इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों की भूमिका केवल मतदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें नीति-निर्माण, निर्णय-प्रक्रिया एवं शासन की समीक्षा में निरंतर भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। डिजिटल माध्यम इस भागीदारी को अधिक सरल एवं व्यापक बनाते हैं।
(ख) विचार-विमर्श आधारित लोकतंत्र: इस सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक निर्णय जनसंवाद, तर्क, विमर्श एवं सार्वजनिक सहभागिता पर आधारित होने चाहिए। सोशल मीडिया, ऑनलाइन जन-परामर्श तथा डिजिटल मंच इस प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं।
(ग) सुशासन का सिद्धांत: सुशासन का तात्पर्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता, विधि का शासन तथा जनकल्याण से है। ई-गवर्नेंस इन सभी सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है।

इस प्रकार डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण लोकतंत्र को अधिक समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैचारिक एवं व्यावहारिक पहल है।

4. साहित्य समीक्षा

डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की अवधारणा पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जर्गेन हैबरमास (1989) ने सार्वजनिक विमर्श (Public Sphere) की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के स्वतंत्र एवं तार्किक संवाद पर निर्भर करती है। वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन मंच इस सार्वजनिक विमर्श को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं।
मैनुअल कैस्टेल्स (2012) ने अपने अध्ययन में प्रतिपादित किया कि इंटरनेट एवं डिजिटल नेटवर्क सामाजिक आंदोलनों तथा नागरिक सहभागिता को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। उनके अनुसार सूचना का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को अधिक जनोन्मुख बनाता है।
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षणों में यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल शासन से पारदर्शिता, सेवा-प्रदायन की गुणवत्ता तथा नागरिकों की सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
विश्व बैंक (World Bank) के अनुसार डिजिटल प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के साथ-साथ सुशासन एवं सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करती है। यदि डिजिटल संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाए, तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बन सकती हैं।
भारतीय संदर्भ में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2015) ने शासन को नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न अध्ययनों में यह उल्लेख किया गया है कि ई-गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं ने प्रशासनिक पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि की है।
उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण पर पर्याप्त विमर्श उपलब्ध है, किंतु भारतीय लोकतंत्र में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत प्रभावों का समग्र विश्लेषण अभी भी अपेक्षित है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी शोध-अंतर (Research Gap) को आंशिक रूप से भरने का प्रयास करता है।

5. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

i). डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की अवधारणा एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
ii). भारत में डिजिटल लोकतंत्र के विकास का विश्लेषण करना।
iii). ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी की लोकतांत्रिक भूमिका का मूल्यांकन करना।
iv). नागरिक सहभागिता पर डिजिटल माध्यमों के प्रभाव का

अध्ययन करना।
v). डिजिटल लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विश्लेषण करना।
vi). डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

6. शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र मुख्यतः वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध-पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्य एवं आँकड़े द्वितीयक स्रोतों से संकलित किए गए हैं।

अध्ययन के प्रमुख स्रोत

- भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्टें।
- नीति आयोग के प्रकाशन।
- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्टें।
- संयुक्त राष्ट्र की ई-गवर्नमेंट सर्वे रिपोर्ट।
- विश्व बैंक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें।
- शोध-पत्र, पुस्तकें, शोध-प्रबंध एवं प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाएँ।
- सरकारी वेबसाइटों एवं डिजिटल पोर्टलों से प्राप्त आँकड़े।

संकलित तथ्यों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

7. भारत में डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। पिछले एक दशक में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि, स्मार्टफोन का व्यापक प्रसार तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास ने शासन एवं नागरिकों के संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाया है।
भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया डिजिटल इंडिया अभियान शासन को पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत विभिन्न डिजिटल सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों तक सरल एवं त्वरित पहुँच सुनिश्चित की गई है।

वर्तमान में निम्नलिखित डिजिटल पहलें लोकतांत्रिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं—

- **डिजिलॉकर (DigiLocker):** नागरिकों को डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षित सुविधा प्रदान करता है।
- **यूएमएएनजी (UMANG):** एक ही मंच पर विभिन्न सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- **माईगव (MyGov):** नागरिकों को नीति-निर्माण एवं जन-परामर्श में सहभागिता का अवसर प्रदान करता है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाकर पारदर्शिता बढ़ाता है।
- **आधार आधारित प्रमाणीकरण:** सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- **डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI):** वित्तीय समावेशन तथा पारदर्शी आर्थिक लेन-देन को प्रोत्साहित करती है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप नागरिकों की शासन तक पहुँच सरल हुई है, सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है तथा भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक विलंब में कमी आई है। साथ ही, डिजिटल माध्यमों ने नागरिकों को शासन के प्रति अधिक जागरूक, उत्तरदायी एवं सक्रिय बनाया है।
यद्यपि इन उपलब्धियों के बावजूद ग्रामीण-शहरी असमानता, डिजिटल साक्षरता का अभाव, इंटरनेट की असमान उपलब्धता तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जिनके समाधान के बिना डिजिटल लोकतंत्र का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

8. भारत सरकार की प्रमुख डिजिटल पहलें एवं उनका लोकतांत्रिक सशक्तिकरण में योगदान

डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। इन पहलों ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नागरिक-केंद्रित बनाया है।

(क) डिजिटल इंडिया अभियान

वर्ष 2015 में प्रारम्भ किया गया डिजिटल इंडिया अभियान भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं—

- प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता।
- सेवाओं का डिजिटल माध्यम से सुगम वितरण।
- नागरिकों का डिजिटल रूप से सशक्तिकरण।

इस अभियान ने ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान तथा ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
(ख) माईगव (MyGov): माईगव एक सहभागी डिजिटल मंच है, जहाँ नागरिक विभिन्न नीतियों, योजनाओं तथा राष्ट्रीय विषयों पर अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सरकार और नागरिकों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है।
(ग) डिजिलॉकर (DigiLocker): डिजिलॉकर नागरिकों को शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों का सुरक्षित डिजिटल भंडारण उपलब्ध कराता है। इससे कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम हुई है तथा सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ी है।
(घ) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI): यूपीआई ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया है। इससे नकद लेन-देन में कमी आई है तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।
(ङ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सरकारी अनुदान एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित हुआ है।
(च) ई-गवर्नेंस: ई-गवर्नेंस के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भूमि अभिलेख, कर भुगतान, पेंशन, छात्रवृत्ति तथा अन्य अनेक सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। इससे प्रशासनिक दक्षता एवं नागरिक संतुष्टि में वृद्धि हुई है।

9. डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के प्रमुख अवसर

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाने के अनेक अवसर प्रदान किए हैं—

i). **नागरिक सहभागिता में वृद्धि:** ऑनलाइन मंचों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएँ, सुझाव एवं विचार सरकार तक सरलता से पहुँचा सकते हैं।

ii). **पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व:** डिजिटल माध्यमों से सरकारी योजनाओं, बजट एवं निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक होने से प्रशासन अधिक जवाबदेह बना है।
iii). **भ्रष्टाचार में कमी:** ऑनलाइन सेवाओं एवं डिजिटल भुगतान प्रणाली ने मानवीय हस्तक्षेप कम कर भ्रष्टाचार की संभावनाओं को घटाया है।
iv). **समावेशी विकास:** डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिला है।
v). **सूचना तक सरल पहुँच:** सूचना का अधिकार, सरकारी पोर्टल तथा ओपन डेटा प्लेटफॉर्म नागरिकों को त्वरित एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
vi). **त्वरित सेवा वितरण:** ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल प्रमाण-पत्र एवं ई-सेवाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाया है।

10. डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की चुनौतियाँ

यद्यपि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की है, फिर भी अनेक चुनौतियाँ इसके समक्ष विद्यमान हैं—

(क) डिजिटल विभाजन (Digital Divide): ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों तथा तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता है।

(ख) डिजिटल साक्षरता का अभाव: समाज के अनेक वर्ग अभी भी डिजिटल सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

(ग) साइबर अपराध: ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, डेटा चोरी तथा साइबर हमले नागरिकों के विश्वास को प्रभावित करते हैं।

(घ) डेटा गोपनीयता: व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग एवं डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ निरंतर बढ़ रही हैं।

(ङ) भ्रामक सूचना एवं फेक न्यूज़: सोशल मीडिया पर झूठी एवं भ्रामक सूचनाओं का प्रसार सामाजिक सद्भाव एवं लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

(च) कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग: एआई आधारित डीपफेक, स्वचालित दुष्प्रचार एवं सूचना में हेरफेर लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं।

11. नीतिगत सुझाव

डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

i). प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ एवं किफायती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
ii). विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य बनाया जाए।
iii). साइबर सुरक्षा अवसंरचना को और अधिक मजबूत किया जाए।
iv). डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता संबंधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
v). फेक न्यूज़ की रोकथाम हेतु डिजिटल मीडिया साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए।
vi). ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
vii). नागरिकों की नीति-निर्माण में सहभागिता बढ़ाने के लिए डिजिटल परामर्श मंचों को और सशक्त बनाया जाए।
viii).सरकारी डिजिटल सेवाओं को अधिक सरल, बहुभाषी एवं दिव्यांगजन-अनुकूल बनाया जाए।

उपरोक्त सुझावों के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत में डिजिटल लोकतंत्र अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुख बन सकेगा।

12. निष्कर्ष

डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दक्षता को बढ़ावा दिया है। ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन जनसेवाएँ, डिजिटल पहचान तथा नागरिक सहभागिता के विभिन्न डिजिटल मंचों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाया है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने डिजिटल अवसंरचना के विकास के साथ-साथ नागरिकों को शासन से जोड़ने का कार्य किया है, जिससे लोकतंत्र अधिक सहभागी एवं समावेशी बना है।

डिजिटल माध्यमों ने नागरिकों को सूचना तक त्वरित पहुँच, शिकायतों के ऑनलाइन निवारण, योजनाओं की निगरानी तथा नीति-निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के अवसर प्रदान किए हैं। इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है तथा भ्रष्टाचार में कमी लाने में भी सहायता मिली है। वित्तीय समावेशन, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी व्यवस्थाओं ने लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को और अधिक सुदृढ़ किया है।

इसके बावजूद डिजिटल लोकतंत्र के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ विद्यमान हैं। डिजिटल विभाजन, इंटरनेट की असमान उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता का अभाव, साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग तथा फेक न्यूज़ जैसी समस्याएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अतः केवल डिजिटल अवसंरचना का विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों में डिजिटल जागरूकता, नैतिक डिजिटल नागरिकता तथा सुरक्षित साइबर वातावरण का निर्माण भी आवश्यक है।

भविष्य में भारत को डिजिटल लोकतंत्र को अधिक समावेशी, सुरक्षित एवं उत्तरदायी बनाने के लिए ऐसी नीतियाँ अपनानी होंगी जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक डिजिटल सुविधाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, बिग डेटा तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। यदि डिजिटल नवाचार को संवैधानिक मूल्यों, सुशासन एवं सामाजिक न्याय के साथ समन्वित किया जाए, तो भारत विश्व के अग्रणी डिजिटल लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान और अधिक सुदृढ़ कर सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक सहभागी, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने की एक सतत प्रक्रिया है। यह सामाजिक समावेशन, सुशासन एवं सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. Castells M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Polity Press; 2012.
2. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press; 1989.
3. OECD. Digital Government Index. 2020.
4. United Nations. United Nations E-Government Survey. 2024.
5. World Bank. World Development Report: Data for Better Lives. 2021.
6. Ministry of Electronics and Information Technology. Annual Report. Government of India; 2024.
7. Government of India. Digital India Programme. 2025.
8. NITI Aayog. India's Digital Public Infrastructure. 2023.

9. Reserve Bank of India. Annual Report. 2024.
10. Press Information Bureau. Digital Governance Initiatives. 2024.
11. Ministry of Finance. Economic Survey of India. 2024.
12. Election Commission of India. Annual Report. 2024.
13. National e-Governance Division. Digital Governance Framework. 2024.
14. UNESCO. Digital Literacy Framework. 2023.
15. United Nations Development Programme (UNDP). Digital Transformation and Governance. 2023.
16. Kumar R. ई-गवर्नेंस और सुशासन. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन; 2022.
17. सिंह ए. डिजिटल भारत और सामाजिक परिवर्तन. जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर्स; 2021.
18. मिश्रा एस. लोक प्रशासन एवं ई-गवर्नेंस. इलाहाबाद: किताब महल; 2020.
19. Yadav S. Digital Democracy in India. New Delhi; 2021.
20. MeitY. Digital India Success Stories. 2024.